भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5344

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

सड़क निर्माण में खामियों के कारण दुर्घटनाएं

5344. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरे:

डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगे:

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर:

श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों, विशेषकर महाराष्ट्र में विगत तीन वर्षों के दौरान सड़क अवसंरचना में कमियों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुईं और मारे गए और घायल हुए लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मोटर वाहन अधिनियम में सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रावधान है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्य सड़कों के लिए ऐसे कोई मानक अधिसूचित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली सहित राज्य/संघ शासित प्रदेश-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर रिपोर्ट "भारत में सड़क दुर्घटनाएं" प्रकाशित करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, सड़क दुर्घटनाएं बहु-कारणीय घटनाएं हैं और विभिन्न कारकों के परस्पर प्रभाव का परिणाम हैं। इन्हें व्यापक तौर पर (i) मानवीय चूक, (ii) सड़क की स्थिति/पर्यावरण और (iii) वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, कैलेंडर वर्ष 2020 से 2022 तक देश और महाराष्ट्र राज्य में सभी श्रेणी की सड़कों पर सड़क दुर्घटनाओं, मारे गए और घायलों की संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

वर्ष	सड़क दुर्घटनाओं की संख्या		सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या		सड़क दुर्घटना में घायलों की संख्या	
	संपूर्ण भारत	महाराष्ट्र	संपूर्ण भारत	महाराष्ट्र	संपूर्ण भारत	महाराष्ट्र
2020*	3,72,181	24,971	1,38,383	11,569	3,46,747	19,914
2021*	4,12,432	29,477	1,53,972	13,528	3,84,448	23,071
2022	4,61,312	33,383	1,68,491	15,224	4,43,366	27,239

* - कोविड प्रभावित वर्ष

(ख) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 198ए की उपधारा (1) के अनुसार सड़क के सुरक्षा मानकों के डिजाइन, निर्माण या रखरखाव के लिए जिम्मेदार किसी भी नामित प्राधिकारी, संविदाकार, परामर्शदाता या रियायतकर्ता को ऐसे डिजाइन, निर्माण और रखरखाव मानकों का पालन करना होगा, जैसा भी सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

(ग) और (घ) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) सड़क सुरक्षा सहित राजमार्ग निर्माण और रखरखाव के सभी पहलुओं के लिए मानक, दिशानिर्देश, मैनुअल आदि तैयार करती है। सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) से संबंधित सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग मुद्दों पर नीति परिपत्र भी जारी करती है। आईआरसी के ऐसे मानक, दिशानिर्देश, मैनुअल और नीति परिपत्र सभी एनएच पर लागू हैं।

******